2

टी०ए०मिस० केस सं0 140/2018-19

आदेश

अभ्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक सुभाष चन्द्र पाड़ेया, पिता– स्व० पासिंह पाड़ेया, निवासी ग्राम– सिकुरसाई, थाना– मुफफसिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– सिकुरसाई, थाना नं०– 124 के अन्दर खाता नं०– 18, प्लॉट नं०– 488, रकवा– 0.10 एकड़ भूमि क्रेता ललिता बोदरा, पति– स्व० सुदामा बोदरा, ग्राम– ठाकुरागुटू, थाना– मुफ्फासिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता– स्व० पासिंग पाड़ेया के नाम पर खतियान मे दर्ज है। आवेदक के पिता के मृत्यु के पश्चात आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 704 दिनांक– 12.10.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता ललिता बोदरा, पति– स्व० सुदामा बोदरा, ग्राम– ठाकुरागुटू, थाना– मुफ्फसिल, चाईबासा के पास 2,35,000.00/– (दो लाख पैंतीस हजार) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना मुफ्फासिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ईलाका मानकी का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 5.00 एकड़ से भी ज्यादा भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ईलाका मानकी के अनुशंसा के आलोक में आवेदक सुभाष चन्द्र पाड़ेया, पिता– स्व० पासिंह पाड़ेया, निवासी ग्राम– सिकुरसाई, थाना– मुफ्फासिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने क्रेता ललिता बोदरा, पति– स्व० सुदामा बोदरा, ग्राम– ठाकुरागुटू, थाना– मुफ्फासिल चाईबासा के पास 2,35,000.00/– (दो लाख पैंतीस हजार) रूपये में मौजा– सिकुरसाई, थाना नं०– 124 के अन्दर खाता नं०– 18, प्लॉट नं०– 488, रकवा– 0.10 एकड जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ......अनुमति...... दी जाती है।

लेखापित

21/10

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

21/10/19

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

आदेश ... गई कार्य... की संचिका ... टिप्पणी एवं ...
21/10/19